राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1585/2013/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1586/2013/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, वृत–'ई', जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुप्रीम मेटल कम्पोनेंट्स इण्डिया (प्रा.) लिमिटेड,
एफ–105, विजयलक्ष्मी टॉवर, सीएस वीडी नगर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17/12/2015

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 71 व 72/अपील्स–III/आरवीएटी/ई/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–'ई', जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 23/24 तथा वेट अधिनियम की धारा 23, 55, 58, 61 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.02.2012 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की 58 के तहत शास्ति क्रमशः रूपये 19,106/– व रूपये 22,813/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2013 से स्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

लगातार.....2

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधिनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ठि नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध किया गया था। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यही माना जा सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है, जबकि धारा 58 के तहत शास्ति बिक्री विवरण प्रपत्रों के प्रस्तुत नहीं करने का कारण जाने बिना आरोपित नहीं की जा सकती है। धारा 58 का सुसंगत अंश उद्धरित किया जाना उचित होगा :–

> **58. Penalty for failure to furnish return.** – Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorised by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed to furnish prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty

लगातार.....3

8. कर बोर्ड का नियमित रूप से यह मत रहा है कि वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने/नहीं करने का कारण बताने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

17.12.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य